

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-306/2019

नफीसा खातून

..... याचिकाकर्ता (एस)

बनाम

झारखण्ड राज्य और अन्य

..... विपक्षी पार्टी (गण)

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मो० असदुल हक, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता

03/10.12.2021 यह सी०एम०पी०, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 7373/2017 के पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे 16.01.2019 के पूर्वनिर्धारित आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनजाने में वह समय के भीतर आदेश का पालन नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि कारणों को सिविल विविध याचिका के पैरा 15 में समझाया गया है। याचिकाकर्ता बिना शर्त माफी मांगता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही रिट एप्लिकेशन को पुनःस्थापित किया जाएगा, वह त्रुटियों को दूर कर देगा।

उनके निवेदनों पर विचार करते हुए डब्ल्यू०पी० (एस०) सं० 7373/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया०)